संख्या 2162/14.08.18

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

नवीनीकरण संख्या 876/2018-2019

फाइल संख्या F-17086

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि पं0 जुग्गीलाल अरूण कुमार शिक्षा संस्थान।

शिक्षक रामबाबू तिवारीनगर जयसिंहपुर तहसील जयसिंहपुर जिला–सुलतानपुर।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र संख्या 470/2003-04

दिनांक 13/08/2003 को दिनांक 13/08/2018 से पांच वर्ष की अवधि के लिये नवीकृत किया गया है।

1100 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 14/08/2018

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

21 | 13

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

BF 241445

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पं0 जुग्गीलाल अरूण कुमार शिक्षा संस्थान शिक्षक रामबाबू तिवारी नगर जयसिंहपुर सुलतानपुर

(न्यास ट्रस्ट) दस्तावेज

मै रामबाबू तिवारी सुत श्री जुग्गीलाल तिवारी निवासी ग्राम मुइली, जयसिंहपुर, परगना बरौंसा तहसील –जयसिंहपुर, जिला सुलतानपुर " पं0 जुग्गीलाल अरूण कुमार शिक्षा संस्थान शिक्षक रामबाबू तिवारी नगर जयसिंहपुर सुलतानपुर" ट्रस्ट स्थित ग्राम मुइली, परगना बरौंसा,तहसील जयसिंहपुर, जिला सुलतानपुर (उ0प्र0) का दस्तावेज अपने हस्ताक्षर से रजिस्टर्ड करता हूँ।

इस लोक कल्याणकारी न्यास (ट्रस्ट) की स्थापना दिनांक– 17 सितम्बर 2018 को की गयी है। यह न्यास दस्तावेज " पं0 जुग्गीलाल अरूण कुमार शिक्षा संस्थान शिक्षक रामबाबू तिवारी नगर जयसिंहपुर सुलतानपुर" ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा एवं इसकी स्थपना अधोखित उददेश्यो से किया जा रहा है। जिस पर इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के समस्त नियम उप नियम लागू होंगे।

मै प्रधान न्यासी राम बाबू तिवारी सत्य निष्ठा व स्व विवेक से मु0– 11,000/– रू0 (ग्यारह हजार रूपये) न्यास मे जमा करके इस न्यास की स्थापना करता हूँ एवं इस ग्यारह हजार रूपये की धनराशि के साथ साथ वे सभी धनराशिय व सम्पत्तियों जो समय –समय पर अनुदान , अंशदान, उपहार, बक्शीस, क्रय आदि से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या मेरे द्वारा संस्थान , संगठन, संघ, सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा दिया जायेगा उस सभी पर न्यास का अधिपत्य होगा तथा वह न्यास की सम्पत्ति होगी, किसी भी परिस्थिति मे न्यास के उद्देश्य को पूरा करने के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत या निजी उपयोग मे नहीं लाई जायेगी। उक्त सम्पत्ति के रख–रखाव हेतु एक न्यास फण्ड होगा जिसका उल्लेख रजिस्टर मे अंकित किया जायेगा या बैंक खाते में जमा किया जायेगा।

क्रमशः .... 2 पर

Ram Babu

BF 241446

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

/2/

मै रामबाबू तिवारी एतद्द्वारा निम्न व्यक्तियों को न्यासी नियुक्त करता हूँ।

1. राम बाबू तिवारी सुत श्री जुग्गीलाल तिवारी निवासी ग्राम मुइली, परगना बरौंसा, तहसील जयसिंहपुर, जिला सुलतानपुर उ0प्र0 पेशा नौकरी (मुख्य न्यासी)।
2. अरूण कुमार तिवारी सुत श्री जुग्गीलाल तिवारी निवासी ग्राम मुइली, परगना बरौंसा, तहसील जयसिंहपुर, जिला सुलतानपुर उ0प्र0 पेशा नौकरी ।
3. प्रियंका देवी पत्नी अरूण कुमार तिवारी निवासिनी ग्राम मुइली, परगना बरौंसा, तहसील जयसिंहपुर, जिला सुलतानपुर उ0प्र0 पेशा गृहणी।
4. रीता पाण्डेय पत्नी रामबाबू तिवारी निवासिनी ग्राम मुइली, परगना बरौंसा, तहसील जयसिंहपुर, जिला सुलतानपुर उ0प्र0 पेशा नौकरी।
5. गया प्रसाद तिवारी सुत श्री राम सुन्दर तिवारी निवासी ग्राम मुइली, परगना बरौंसा, तहसील जयसिंहपुर, जिला सुलतानपुर उ0प्र0 पेशा कृषि।

न्यास का नाम :- "प0 जुग्गीलाल अरूण कुमार शिक्षा संस्थान शिक्षक रामबाबू तिवारी नगर जयसिंहपुर सुलतानपुर" ट्रस्ट

न्यास का स्थायी पता:- ग्राम मुइली, परगना बरौंसा, तहसील जयसिंहपुर, जिला सुलतानपुर उ0प्र0।

न्यासकर्ता निर्माता :- रामबाबू तिवारी सुत श्री जुग्गीलाल तिवारी ग्राम मुइली, परगना बरौंसा, तहसील जयसिंहपुर जिला सुलतानपुर।

न्यास का कार्यक्षेत्र:- सम्पूर्ण भारतवर्ष।

क्रमशः पेज 3 पर

50 Ram Babu

BF 241447

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

/3/

न्यास का स्वरूप :- यह न्यास एक ट्रस्ट है।

न्यास का संविधान/ न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति:- उपरोक्त वर्णित संस्था न्यास के उद्देश्य को पूरा करने व न्यास के कार्य सम्पादन करने के लिए न्यासीगण द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा किसी बैंक में खाता खोलेंगे। जिसमें न्यास फण्ड का पैसा जमा हो एवं खाते का संचालन प्रबन्ध समितियों की सहमति से स्वयं या किसी अन्य न्यासी के साथ संयुक्त रूप से संचालित करेगा।

प्रबन्ध समिति में न्यासी को शामिल करने का निर्णय न्यासी मण्डल करेगा किन्तु मतैक्य न होने की दशा में प्रबन्धक स्वयं अपने निर्णय से न्यासी नियुक्त कर सकता है।

न्यास के क्रियाकलापों के बारे में प्रबन्धक अन्य सदस्यों से विचार- विमर्श करके निर्धारण करेगा, किन्तु सदस्यों के विचार व सलाह किसी भी तरह (प्रबन्धक) पर बाध्यकारी नहीं होगा।

समस्त न्यासीगण जैसा उचित समझे उन्हे न्यास की इस विलेख द्वारा की जा रही व्यवस्था को परिवर्तन करने, रूपान्तरण करने एवं न्यास को रूपान्तरित करने का अधिकार प्रबन्धक की सहमति से होगा, किन्तु परिवर्तन , रूपान्तरण एवं परिवर्धन का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

न्यास में न्यासियों की संख्या न्यूनतम 5 व अधिकतम 7 होनी चाहिये।

न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास की चल-अचल सम्पत्ति विक्रय करने, पट्टे पर देने , दान आदि देने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।

क्रमशः 4

So Ram Babu

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH /4/ BF 241448

यदि आवश्यकता हो तो प्रबन्धक न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उप समिति का गठन कर सकता है। नव गठित उप समिति प्रबन्धक/न्यासी मण्डल के प्रति उत्तरदायी होगी।

न्यास द्वारा लाये गये वादों या न्यास पर लाये गये वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ता या प्रतिनिधि करने की जिम्मेदारी व अधिकार मुख्य न्यासी/प्रबन्धक की होगी

न्यास के कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार प्रबन्धक को होगा एवं इनको देय वेतन की धनराशि का निर्धारण प्रबन्धक न्यासी मण्डल की सहमति से करेगा।

न्यास के विघटन की दशा में समस्त सम्पत्ति न्यासकर्ता के उत्तराधिकारी या न्यासकर्ता द्वारा नामित व्यक्ति के पक्ष में की जायेगी।

किसी भी न्यासी की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तरदायित्व या न्यासी के जीवनकाल में उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि प्रबन्धक के सहमति से न्यास मण्डल में उस न्यासी का स्थान लेगा।

मुख्य न्यासी की मृत्यु के पश्चात मुख्य न्यासी द्वारा नामित व्यक्ति या मुख्य न्यासी का उत्तराधिकारी ही उस न्यास का प्रबन्धक होगा , मुख्य न्यासी अपने जीवनकाल में मुख्य न्यासी किसी भी व्यक्ति को नामित कर सकता है।

न्यास या न्यास द्वारा संचालित संस्था/ संस्थाओं का प्रबन्धन मुख्य न्यासी द्वारा किया जायेगा, मुख्य न्यास/ न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं का प्रबन्धक/ एम0डी0 होगा।

क्रमश.....

So Ram Babu

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH /5/ BF 241449

मुख्य न्यासी / प्रबन्धक द्वारा किये गये सभी निर्णय का अनुमोदन न्यासी मण्डल द्वारा लिया जायेगा। मतैक्य न होने की दशा में कम से कम तीन सदस्य मण्डल के सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है।

न्यासी मण्डल की त्रैमासिक , अर्द्धवार्षिक, या वार्षिक बैठक आवश्यकतानुसार मुख्य न्यासी द्वारा आहूति की जायेगी।

ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं की देख–रेख करे, और उसके एकाउन्ट रसीद एवं कागजातों आदि का निरीक्षण करें और उसके निरीक्षण के लिए किसी भी आडीटर की नियुक्ति आवश्यकतानुसार करे।

न्यास मण्डल की बैठक बुलाना और उसके आवश्यकतानुसार स्थगित करने का भी अधिकार ट्रस्टी का होगा।

ट्रस्ट के उद्देश्य :–

1. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनुमोदित विभिन्न संस्थागत सांस्कृतिक एंव रोजगार परक शिक्षा तथा अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना।
2. ज्ञान एवं शोध तथा अन्य तत्समय उद्देश्यों हेतु छात्रवृत्तियों तथा फेलोशिप प्रदान करना।
3. ऐसा हर सम्भव कदम उठाना जो न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपकारी एवं सहायक हों।
4. शासन के मंशा के अनुरूप राष्ट्रीय एकता एवं समाज के उत्थान के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना ।

क्रमशः.....6

S/o Ram Babu

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BF 241450

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समाज के स्वरोजगार योजना एवं आत्म निर्भरता की भावना जागृत करना।

5. गरीब, विकलांगो , मूक बाधिर , मन्दबुद्धि आदि को शिक्षा, पुर्नवास, हेतु कार्य करना एवं प्रचार–प्रसार करना तथा सरकारी विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा करना।

6. गरीब अनुसूचित जातियों को मुफ्त शिक्षा दीक्षा प्रदान एवं रोजगार परक शिक्षा का प्रबन्धक करना।

7. गरीब एवं निराश्रित महिलाओं के कल्याणार्थ एवं उनके जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगार परक शिक्षा देना एवं कार्य करना।

8. अल्पसख्यक वर्ग के कल्याणर्थ कार्य करना।

9. परिवार नियोजन एवं कुष्ठ रोग नियंत्रण हेतु समाज में जागरूकता पैदा करना एवं कार्य करना।

10. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा मान्य व्यवसाय परक शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं शिक्षा एवं शिक्षा की व्यवस्था करना तथा शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा तत्सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना।

11. पर्यावरण एवं जल तथा वन्य जीव सरंक्षण हेतु कार्य कारना।

12. समाज कल्याण विभाग द्वारा जनहित में चलाये गये कार्यक्रमों का कियान्वयन करना एवं समाज कलयाण हेतु वह प्रत्येक कार्यक्रमों को करना जो समाज व देश के हित में हों

13. तथा प्राकृतिक व दैवीय आपदा आने पर पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना व शासन प्रशासन द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करना।

कमशः.................7

Ram Babu

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये — FIFTY RUPEES

रु.50 — Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH /7/ BF 241451

14. भारतीय संस्कृत भाषा दर्शन साहित्य कला एवं संगीत तथा अन्य प्राच्य विधाओ आयुर्विज्ञान के सम्वर्धन एवं विकास में सार्थक भूमिका हेतु समय समय पर गोष्ठियों एवं व्याख्यानमाला , शोध एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उसके विकास के लिए प्रकाशन एव प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

15. शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना, प्राढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना एवं शिक्षा द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करना तथा लोगों को वैज्ञानिक एवं उपयोगी जानकारी से अवगत कराना, इसके लिए छात्रवृत्ति , पेंशन एवं आर्थिक सहायता, वेतन, विद्यालय को अनुदान, स्कूल कालेज, पुस्तकालय , प्रयोगशाला , छात्रावास, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना।

16. ग्रामीण अंचलों मे नागरिक, बालक– बालिकाओं की शैक्षिणिक विकास हेतु प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च एवं उच्चतर विद्यालय एवं महा विद्यालयों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करने के लिए समुचित प्रबन्ध करना।

17. चिकित्सा पद्धति के विभिन्न विधाओं के विकास हेतु होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना करना एवं सफल संचालन करना।

18. तकनीकी शिक्षा हेतु इंजीनियरिंग , आई0टी0आई0, पालीटेकिनक कालेज की स्थापना करना एवं सफल संचालन करना।

19. लोगों को आत्म निर्भर बनाने हेतु इलेक्ट्रानिक कला एवं टाइपिंग , टेलरिंग, ब्यूटीशियन के क्षेत्र में प्रशिक्षण योजनाएं चलाना और लघु एवं कुटीर उद्योग लगाने हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

क्रमशः 8

ह0 Ram Gobind

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

/8/

20. [illegible]

21. [illegible]

22. [illegible]

23. [illegible]

24. [illegible]

25. [illegible]

26. [illegible]

27. [illegible]

28. [illegible]

क्रमश:....9

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH /९/ BF 241453

29. समय समय पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना।
30. पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना
31. समाचार पत्र– पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।
32. सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज उत्पीड़न, अत्याचार एवं यौन शोषण , बाल यौन शोषण , मादक द्रव्यों का सेवन इत्यादि के विरूद्ध जन जागरण करना एवं विधिक सहायता प्रदान करना।
33. जन समुदाय में ''राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करने हेतु भारतीय महापुरूषों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से सम्बंधित संगोष्ठियों , सेमिनार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना व कराना।
34. नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु डेयरी फार्म व पशुपालन प्रदान करना।
35. स्वरोजगार योजना के तहत खाद्य सामग्री की शुद्धता का विशेष ध्यान देते हुये खाद्य सामग्री का उत्पादन करना व एकत्रीकरण करना तथा सहकारी समिति का गठन का उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं तक पहुँचाना।
36 स्वरोजगार के तहत वन औषधि पौधों का संरक्षण, उत्पादन, संग्रह कर उपभोक्ताओं तक पहुँचाना।
37. अनाथ , असहाय, बच्चों की देख रेख , पालन पोषण, शिक्षा–चिकित्सा आदि हेतु पुर्नवास की व्यवस्था करना तथा परिवार की अवधारणा मे पुर्नवास केन्द की स्थापना करना।
38 . महिलाओं एवं वृद्धों हेतु पुर्नवास एवं सेवाश्रम की स्थापना करना।

क्रमश:..................10

Ram

BF 241454

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39. वन जीवन, जन्तु , पक्षी इत्यादि के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु सघन अभियान चलाना आदि।

40. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की शिक्षा, चिकित्सा, शादी– विवाह करना या कराना।

41. प्रशिक्षित एवं अप्रिशिक्षित लोगों का संगठन बनाकर योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप रोजगार प्रदान करना।

42. असंगठित मजदूरों को सगठित कर नियमित रोजगार प्रदान कराने का प्रयास करना तथा उनकी समस्याओं का उचित एव वैधानिक समाधान करना व कराना।

43. क्षेत्र वासियों में स्वावलम्बन एवं आत्म निर्भरता की भावना को उत्पन्न करते हुये खादी ग्रामोद्योग आयोग/ बोर्ड की नीतियों के अनुरूप शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुये उत्पादन केन्द्र खोलना व संचालन करना।

44. इस संस्था के अन्तर्गत समिति एवं उप समितियों का निर्माण करना ।

45. सामान्य उद्देश्य से प्रेरित होकर अन्य संस्थाओं का अपने आवश्यकतानुसार सम्बद्ध होना एवं उसका अधिग्रहण करना तथा उसको सदस्यता प्रदान करना।

46. सरकारी, अर्धसरकारी ,निगमों, संस्थाओं, विभागों, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम ,लघु उद्योग निदेशालय , महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम, अल्पसंख्यक कल्याण निगम, तथा अन्य वित्तीय एजेन्सियों एवं व्यक्तियों के माध्यम से संचालित प्रशिक्षण केन्द्र।

क्रमशः 11

Jo Ram Babu

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BF 241455

/11/

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

47. कार्यक्रमों एवं उसके वित्तीय सहायता अनुदान परामर्श आदि लेकर समाज के निर्धन पिछड़े , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को प्रशिक्षित करके स्वावलम्बी बनाना।

48. कृषि क्षेत्र में कृषक समाज को आर्थिक व सामाजिक रूप से निर्भर बनाने के लिए सहकारी खेती को बढ़ावा देना । इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कृषि वैज्ञानिक के माध्यम से कृषक मेला आदि का आयोजन करना, साथ ही साथ कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, समुचित जल प्रबन्ध करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करना , मृदा संरक्षण , पर्यावरण संरक्षण हेतु जैविक कृषि को बढ़ावा देना, कृषि उपज को बेहतर मूल्य हेतु विपणन की व्यवस्था करना।

Bhanu Pratap pandey

मसविदाकर्ता– भानु प्रताप पाण्डेय, एडवोकेट
सिविल कोर्ट– सुलतानपुर।

साक्षी–1– द्वारिका प्रसाद शुक्ल ग्राम बझना,
पोस्ट भीखूपुर, तहसील जयसिंहपुर, सुलतानपुर।

द्वारिका प्रसाद शुक्ल S/o [illegible] शुक्ल ग्रा० बझना पो० [illegible] त० जयसिंहपुर जि० सुलतानपुर

2– विजय नाथ तिवारी ,ग्राम हाजीपुर बरूआर
पोस्ट मेवपुर, तहसील कादीपुर, सुलतानपुर।

टाइपकर्ता – जगमोहन सिंह , राज इलेक्ट्रोस्टेट,
जनपथ, लखनऊ। J N Singh

विजय नाथ तिवारी S/o [illegible] कुमार तिवारी ग्राम हाजीपुर बरूआर पो० [illegible] त० कादीपुर जिला सुलतानपुर

द० Ram Basu